

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल
ट्रेजरी बिल्डिंग्स, 2, गवर्मेन्ट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता - 700001

का.आ.सं. Admn./MACPS/Vol.VIII/231

दिनांक: 27.03.2026

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के पत्र सं. 200-स्टाफ हकदारी (नियम)/06-2012 दिनांक 14.11.2019 के साथ प्राप्त भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 35034/3/2015-Estt.(D) दिनांक 22.10.2019 के अनुसार, सी.सी.एस. (परिशोधित वेतन) नियम, 2016 के तहत वेतन मैट्रिक्स के संबंधित स्तर पर निम्नलिखित कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन (फाइनेंशियल अपग्रेडेशन) की अनुमति उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारियों के नाम (सुश्री/श्री)	पदनाम	प्रथम/द्वितीय / तृतीय एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत लाभ	लाभ प्रभावी की तिथि	स्वीकार्य वेतन स्तर	कार्यालय/वर्तमान तैनाती स्थान
1	शुभ्रतो दास	लेखापरीक्षक	प्रथम एम.ए.सी.पी.	01.03.2026	स्तर-6	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प.बं.
2	सायन बोस	लेखापरीक्षक	प्रथम एम.ए.सी.पी.	06.01.2026	स्तर-6	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प.बं.
3	सौमा घोष हाजरा	लेखापरीक्षक	प्रथम एम.ए.सी.पी.	19.01.2026	स्तर-6	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), प.बं.
4	आशुतोष कुमार-I	लेखापरीक्षक	प्रथम एम.ए.सी.पी.	22.02.2026	स्तर-6	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प.बं.

सी.सी.एस. (आर.पी.) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, लागू मौजूदा नियम के तहत इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।

एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत इन कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन प्रदान करना डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/4/91-Estt.(A) दिनांक 14.09.1992 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।

//प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार के आदेश, दिनांक 19.03.2026
फाइल सं. Sr. DAG (Admin)'s Secretariat//

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.1)

प्रति अग्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता-700001
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा -II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता-700064
3. सचिवालय, वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-I एवं प्रशासन)/वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी.--II)/वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी.--III-नॉन एल.ए.डी.)/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.--IV)
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन 2/ प्रशासन 3/ प्रशासन 4/ प्रशासन 5/ प्रशासन गोपनीय कक्ष / ए.एम.जी.--I (मुख्यालय)/ ए.एम.जी.--II (मुख्यालय)/ ए.एम.जी.--III – नॉन एल.ए.डी./ ए.एम.जी.—IV (मुख्यालय)/ एफ.ए.डब्ल्यू./ रिपोर्ट/ आई.टी.ए./ई.सी.पी.ए./डी.ए.एस.)
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तृतीय एम.ए.ओ. भवन, 5वीं मंजिल, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700 064
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (कल्याण)
7. संबंधित व्यक्ति
8. ई.डी.पी. अनुभाग - आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड

हस्ता/-

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.1)